न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /19/2017

1– जग्गो सिंह पुत्र गूजर (मृतक)
1/1–साहबसिंह उम्र 22 वर्ष । पुत्र स्व0 जग्गो सिह
1/2–विनोद उम्र 20 वर्ष
1/3–गंगा पुत्री जग्गो उम्र 28 वर्ष
1/4–नीतू पुत्री जग्गो उम्र 26 वर्ष
1/5–महेन्द्री पत्नी स्व0 जग्गो सिंह
2–अजीत । पुत्रान पदम सिंह
3–लक्ष्मन ।
4–खुन्नीसिंह पुत्र गूजर
5– भरतसिंह । पुत्रान बच्चूसिंह
6–मुकेश सिंह ।
7–राधा पुत्री बच्चूसिंह

जातियान गूजर निवासी धाऊपायसा अटलबन्ध, तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी0

बनाम

1–सूरज सिंह । पुत्रान भगवानसिंह
2–श्यामसिंह ।
3–महेन्द्र सिंह।
4–दिगम्बर । पुत्रान रामसिंह
5–रामेश्वर ।
6–महेशनारायण । पुत्रान सम्पत्ति उर्फ सम्पत
7–रामकिशन ।

जाति गूजर निवासी धाऊपायसा, अटलबन्ध भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर राज0

8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी)तहसील भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अंतर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1038 दिनांक 30.3.2017 ग्राम श्रीनगर, तहसील भरतपुर ।

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 03.09.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या संख्या 1038 दिनांक 30.3.2017 ग्राम श्रीनगर, तहसील भरतपुर पेश की गई है।

2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश/निर्णय दिनांक 16.2.2016 की पालना में तहसीलदार भरतपुर द्वारा खोला जाकर 30.3.2017 को स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्टान द्वारा पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली नामान्तकरण तलव किया गया। दौराने कार्यवाही अपील, अभिभाषक रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 18.6.2025 पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1038 दिनांक 30.3.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश/निर्णय दिनांक 16.2.2016 की अनुपालना में मंजूर किया गया दाखिल खारिज है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो. का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का आदेश 16.2.2016 आज भी अस्तित्व में है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है और नाहीं कोई इस पर स्थगन आदेश ही है। तहसीलदार भरतपुर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश की पालना की है। इसके लिये कोई जांच एवं सुनवाई की आवश्यकता नहीं रहती है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग आर.बी.जे.(11)2004 पेज 31 एवं आर.आर.टी. 2005(2) पेज 774 उद्धरित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील नामान्तकरण संख्या 1038 दिनांक 30.3.2017 तहसीलदार भरतपुर के आदेश के खिलाफ पेश की गई है, जिस पर श्रीमान न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 16.2.2016 की अनुपालना में अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश/निर्णय दिनांक 16.2.2016 के खिलाफ एक अपील माननीय सम्भांगीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में की हुई है, जो विचाराधीन है। माननीय सम्भांगीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार भरतपुर ने नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो काविल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल दस्तावेजात फोटो प्रतियों

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1038 दिनांक 30.3.2017 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण खोले जाने के दस्तावेज/आदेश के कॉलम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.2.2016 की पालना में खोला जाना अंकित किया है। नामान्तकरण में हो रहे उक्त अंकन से यह निर्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1038 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की आज्ञा दिनांक 16.2.2016 की पालना में खोला गया है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का उक्त आदेश 16.2.2016 आज अस्तित्व में ना हो ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, और नाही वक्त स्वीकार किये जाने नामान्तकरण किसी सक्षम न्यायालय को कोई स्थगन आदेश होने का कोई प्रमाण ही पेश किया गया है। तहसीलदार भरतपुर ने तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 16.2.2016 की पालना की है जिसमे उसने कोई त्रुटि नहीं की है। जहॉ तक प्रश्न उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 16.2.2016 के खिलाफ माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर में विचाराधीन अपील का है, इस सम्बन्ध में माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जावेगा, तद्नुसार पक्षकारान/तहसीलदार भरतपुर कार्यवाही करने को स्वतन्त्र हैं।

आर0आर0टी0 2005(2) पेज 774 में प्रतिपादित किया है कि –

"-----Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec 84- Land acquired by order of special officer & in complaince of the order land mutated in the name of UIT-Order of attestation of mutation challenged but Courts below dismissed the appeal-Revision-Basic foundation of the mutation is the order of acqulsition of land – without challenging the order of acquistion of land, mutation cannot be cancelled- No legal or jurisdictional error in the order of Courts below & upheld. ...

उक्त रुंलिग इस प्रकरण पर वखूबी चस्पा होती है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन अपील संख्या 19/2017 इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर